न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
103 / 21	17.08.2021	24.01.2022

उनवान

1. कासम पुत्र ईसब
2. नूरा पुत्र ईसब
3. मम्मन पुत्र ईसब
4. ममरेज पुत्र ईसब
5. रमजान पुत्र ईसब
6. होशियार पुत्र ईसब
7. साबिर पुत्र रजाकदीन पौत्र ईसब जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः—

1.श्री 0 लेखराम वकील वादीगण की और से।

2.प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

वकील वादीगण की और से प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः—

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बाधोडा तहसील किशनगढबास के आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.30 हे. जो साबिक खसरा नम्बर 1192मिन रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा पैमूद हुआ है जो आराजी विवादित आराजी है हाल खसरा नम्बर 1553 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 1192 मिन रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा से पैमूद हुआ है का साहब सिह पुत्र मंगलसिह अलौटी खातेदार काश्तकार था जो आराजी विस्थापित होने पर दीगर आराजीयात के साथ अलौट हुई थी। साहब सिह ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1548 रकबका 1 बीघा 18 बिस्वा , 1553 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 1191 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा ,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

1192 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा साहबसिह पुत्र मंगलसिह ने दिनांक 24.7.78 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादीगण के पिता/ दादा को बेचान कर दिया है बाद खरीद से आराजी उक्त पर वादीगण के पिता / दादा काबिज काश्त कर रहे तथा उनके फौत होने के पश्चात वादीगण काबिज काश्त है।

वादीगण के पिता/ दादा द्वारा कराये गये बयनामा के आधार पर हाल खसरा नमबर 1548 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का इन्तकाल तो केता के पक्ष मे दर्ज वो मंजूर हो गया । परन्तु हाल खसरा नम्बर 1553 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा का इन्तकाल बयनामा के आधार पर वादीगण के पिता / दादा के पक्ष मे मंजूर नही हुआ । अब जानकारी करने पर ज्ञात हुआ की हाल आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा विकेता साहबसिह की गैर खातेदारी मे दर्ज होने से बयनामा के अनुसार इन्तकाल केता के पक्ष मे मंजूर नही हुआ ।

अलौटी साहबसिह व उसके वारिसान ग्राम बाघोडा जमीन जायदाद समस्त को बेचान कर कही बाहर चले गये , जो करीब 15–20 साल से गांव मे आबाद नही है चूकी वादीगण के पिता /दादा द्वारा कय की गई उक्त आराजी गैर खातेदारी की है जो अवैध हस्तानान्तरण द्वारा जरिये रजि0 बयनामा से खरीद की गई है इसलिए वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार अपना कब्जा घोषित कराकर कीमत भूमि जमा कराजकोष कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

अ– यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती पारित की जाकर करार दिया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1553/0.30 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास वादीगण जर्ये बयनामा दिनांक 24.07.78 काबिज काश्तकार है किसी दीगर मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तनान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इस प्रकार की घोषणा वादीगण कराने के अधिकारी है।

ब– यह है कि मौजूदा जमाबन्दीयात मे जो अमल साहबसिह के वारिसान के नाम बतौर गैर खातेदार हो रहा है उसे हजफ किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया ।प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है ।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोरहात हुए वाद वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की गई।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल राजस्व रिकार्ड मे नैनो बाई , शिलाकोर पुत्रीयान साहब सिह ,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

विचारसिंह पुत्र साहब सिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अवलोकन से हाल खसरा नम्बर 1553 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 1192 मिन रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा बना है हाल राजस्व रिकार्ड के पिता साहब सिंह पुत्र मंगलासिंह द्वारा साबिक आराजी 1191 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं 1192 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा का बेचान वादीगण के पिता / दादा को किया गया था। साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2017 मे कृषक साहबसिंह अलौटी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिससे यह साबिक होता है कि साहब सिंह भू. प्रबन्ध से पूर्व साहब सिंह काबिज काश्त था । साहब सिंह द्वारा उक्त आराजी को जर्ये बयनामा दिनांक 24.07.78 के द्वारा वादीगण पिता / दादा को बेचान किया गया। तहसीलदार किशगनढबास रिपोर्ट से प्राप्त मौका कब्जा काश्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है चूकी आराजी का जर्ये बयनामा राजस्व रिकार्ड के गैरखातेदारान के पिता द्वारा अवैध हस्तानान्तरण हुआ है मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए वर्तमान मे राजस्व ग्रुप–6 के नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 के अनुसार वादीगण आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादीगण काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है :–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्र 1553 रकबा 0.30 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का खरीददार काबिज काश्तकार खातेदारी घोषित किया जाता है। वादीगण आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किया जाकर मुताबिक सनद वादीगण सख्या 1 लगायत 6 का 6/7 हिस्सा एव वादी सख्या 7 का 1/7 हिस्सा का अमल कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
103/21	17.08.2021	24.01.2022

पर्चा डिकी

उनवान

1. कामस पुत्र ईसब
2. नूरा पुत्र ईसब
3. मम्मन पुत्र ईसब
4. ममरेज पुत्र ईसब
5. रमजान पुत्र ईसब
6. होशियार पुत्र ईसब
7. साबिर पुत्र रजाकदीन पौत्र ईसब जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0
8.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1.श्री लेखराम वकील वादीगण की और से।
2.प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्र 1553 रकबा 0.30 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का खरीददार काबिज काश्तकार खातेदारी घोषित किया जाता है। वादीगण आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

सनद खातेदारी जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किया जाकर मुताबिक सनद वादीगण सख्या 1 लगायत 6 का 6/7 हिस्सा एव वादी सख्या 7 का 1/7 हिस्सा का अमल कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तों एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद कासम बनाम सरकार मु.न. 103/21 निर्णय दिनांक 24.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	कासम , नूरा, मम्मन, ममरेज, रमजान, होशियारदीन पुत्रान ईसब 6/7 हिस्सा समभाग, साबिर पुत्र रजाकदीक 1/7 हिस्सा जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.30 है. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57913606 से राशि 4800 रू.(चार हजार आठ सौ रुपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57913749 से राशि 2400 रू.(दो हजार चार सौ रुपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के गैर खातेदारान के समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/1615-18 दिनांक :– 02/02/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी कासम पुत्र ईसब वैगरा जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर प्रस्तु
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)